974/964

राष्ट्रीय सहारा
पृ० -12
30-07-2015

किसानों की मदद को न कहें सब्सिडी

चेन्नई (भाषा)। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रो. एमएस स्वामीनाथन ने बुधवार को कहा कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में किसानों को दी जाने वाली मदद को सब्सिडी (राज-सहायता) करार देना गलत है तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करने के उपाय प्रस्तुत करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि विकसित देशों ने पहले से ही डब्ल्यूटीओ के तथाकथित 'ग्रीन बॉक्स' प्रावधान के जरिये अपने किसानों को व्यापक वित्तीय सहायता को सुरक्षित कर रखा है। डा. स्वामीनाथन ने इस साल दिसम्बर में नैरोबी में होने वाले इस बहुपक्षीय संगठन की 10वीं मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले एक बयान के माध्यम से कही है। उन्होंने कहा, 'भारत जैसे देश में किसानों को दी जाने वाली सीमित सहायता को सब्सिडी बताना गलत है। इस सहायता को स्वस्थ खेती के लिए मदद कहना अधिक उपयुक्त होगा।' उन्होंने कहा कि विकसित देशों में कृषि एक वाणिज्यिक पेशा है और उन देशों में खेती पर मुश्किल से आबादी का पांच प्रतिशत हिस्सा ही निर्भर करता है। जबकि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में अधिकांश ग्रामीण आबादी के लिए खेती मुख्य पेशा रहा है जहां के परिवार जीवनयापन और अपने घर की खाद्य सुरक्षा के लिए फसल, पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी एवं कृषि प्रसंस्करण पर निर्भर करते हैं।

सलाह

- कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने कहा, भुखमरी, कुपोषण हटाने के प्रयास करे डब्ल्यूटीओ
- पेशेवर खेती और भूख व कुपोषण मिटाने के लिए की जाने वाली खेती में अंतर समझने की जरूरत

उन्होंने कहा, 'यहां खेतों के आकार छोटे हैं और बाजार में बिक्री योग्य अधिशेष फसल की मात्रा कम है। परिणामस्वरूप खेती करने वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है और इसलिए सहायता को सब्सिडी बताना गलत है।' उन्होंने कहा, 'दिसम्बर में होने वाली आगामी डब्ल्यूटीओ की बैठक में एक वाणिज्यिक पेशा के रूप में कृषि और भूख एवं कुपोषण को मिटाने के लिए खेती के बीच का अंतर को स्पष्ट रूप से समझना होगा।' उन्होंने कहा, 'यह सही मौका है कि डब्ल्यूटीओ के लिए एक खाद्य सुरक्षा बॉक्स भी हो जो भारत जैसे देश को कृषि को सहायता देने वाली नीतियों को अपनाने में मदद कर सकता है।'

प्रतिलिपि:-

प्रभारी पत्रिका एवं समाचार पत्र अनुभाग

1- निजी सचिव, निदेशक कार्यालय
2- निजी सचिव, संयुक्त निदेशक (प्रसार)
3- निजी सचिव, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)
4- निजी सचिव, अधिष्ठाता/संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
5- प्रभारी पी. पी. आई
6- प्रभारी कैटेट
7- प्रभारी, यू. एस. आई